## कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

**अपील/आरटीआई/15/2026**

उत्कर्ष सिंह पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह निवासी बी—184 जवाहर नगर भरतपुर

**......अपीलार्थी**

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट, भरतपुर

**...रेस्पो0**

**अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**आदेश** **दिनांक 16.04.2026**

अपीलार्थी उत्कर्ष सिंह पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह निवासी बी—184 जवाहर नगर भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस आश्य की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, से बिन्दुवार सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया गया। चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/26/194 दिनांक 01.04.2026 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने/नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर का जबाब पत्रांक जि.अभि./2026/02 दिनांक 08.04.2026 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपील में कथन किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई हैं, एवं कार्यालय के पत्रांक 183 दिनांक 23.02.2026 के द्वारा कार्यालय के कार्यदिवस में उपस्थित होकर दस्तावेजों को

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / आरटीआई / 15 / 2026

**उत्कर्ष सिंह बनाम लो.सू.अ. प्र.अधि. जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर**

चिन्हित करने हेतु संसूचित किया गया है। जो न्यायसंगत नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब पत्रांक जि.अभि. / 2026 / 02 दिनांक 08.04.2026 में अंकित किया है कि प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक जि.अभि. / 2026 / 186 दिनांक 06.03.2026 से आवेदक को उपलब्ध करवा दी गई है। अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रभारी अधिकारी प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर के उक्त जबाब से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना नियमानुसार राशि रू. 240 राजकोष में जमा कराई जाकर प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिला अभिलेखागार के पत्रांक जि.अभि. / 2026 / 186 दिनांक 6.03.2026 पर सूचना प्राप्त कर्ता प्रार्थी / आवेदक के प्राप्ती / पावती हस्ताक्षर भी अंकित हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके द्वारा प्राप्त कर ली गई है / प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील चलने योग्य नहीं रहती है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना दिया जाना लम्बित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

**(कमर उल जमान चौधरी)**
**जिला कलक्टर**
**भरतपुर**